

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

नवम् सत्र

बुधवार, 16 सितम्बर, 2020/25 भाद्रपद, 1942 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)


1. शोकोद्गार:

स्वर्गीय श्री रामनाथ शर्मा, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार।

2. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :


दिन के लिए



पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए



पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

3. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-13/2017 दिनांक 27.06.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.06.2017 को प्रकाशित;

- (ii) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर(संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-14/2017-लुज़ दिनांक 30.06.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.06.2017 व 26.12.2017 को प्रकाशित;
- (iii) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-14/2017 दिनांक 30.06.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.06.2017 व 28.09.2017 को प्रकाशित;
- (iv) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-17/2017 दिनांक 24.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.07.2017 को प्रकाशित;
- (v) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-25/2017 दिनांक 11.08.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.08.2017 व 05.03.2019 को प्रकाशित;
- (vi) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-23/2017 दिनांक 11.08.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.08.2017 को प्रकाशित;

- (vii) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-28/2017 दिनांक 30.08.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.09.2017 व 18.01.2019 को प्रकाशित;
- (viii) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-25/2017 दिनांक 01.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.09.2017 व 05.03.2019 को प्रकाशित;
- (ix) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-31/2017 दिनांक 26.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.10.2017 व 13.06.2018 को प्रकाशित;
- (x) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-31/2017 दिनांक 26.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.10.2017 व 13.06.2018 को प्रकाशित;
- (xi) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-38/2017 दिनांक 15.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2017 व 27.06.2018 को प्रकाशित;

- (xii) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (दसवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2016-वॉल-I दिनांक 15.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2017, 30.11.2017 व 10.08.2018 को प्रकाशित;
- (xiii) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-31/2017 दिनांक 20.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.11.2017 व 19.01.2019 को प्रकाशित;
- (xiv) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-40/2017 दिनांक 20.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.11.2017 व 07.08.2018 को प्रकाशित;
- (xv) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-41/2017 दिनांक 29.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.11.2017 व 19.01.2019 को प्रकाशित;
- (xvi) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-34/2017 दिनांक 08.12.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.12.2017 व 10.01.2019 को प्रकाशित; और

(xvii) हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-43/2017 दिनांक 27.12.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.12.2017 को प्रकाशित;

(2) श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अधिनियम, 2019 (2020 का अधिनियम संख्यांक 1) की धारा-13 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-(एन्व सैल)ए(3)-1/2019 दिनांक 11.06.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.06.2020 को प्रकाशित;
- (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, अतिरिक्त निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या:इन्ड-ए(ए)1-3/2017 दिनांक 22.05.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.06.2020 को प्रकाशित; और
- (iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी(रसायन), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या:इन्ड-ए(ए)3-1/2018 दिनांक 28.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.08.2020 को प्रकाशित ।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

- (1) श्री अनिरुद्ध सिंह, दिनांक 13 सितम्बर, 2020 को "अमर उजाला" में प्रकाशित शीर्षक "महंत का कमरा बाहर से बंद कर मंदिर से अष्टधातु की मूर्तियां चुराई" से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।
- (2) श्री राकेश जम्वाल, दिनांक 03 सितम्बर, 2020 को "मंडी केसरी" में प्रकाशित शीर्षक "बाढ़ में नहीं विकास, किससे लगाएं आस" से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

5. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

- (i) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 9) कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।
- (ii) श्री महेन्द्र सिंह, जल शक्ति मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश साहूकारों हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 3) का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

6. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

- (1) डॉ० राजीव बिन्दल }
श्री राकेश जम्वाल }

"नई शिक्षा नीति पर आगे चर्चा ।"

- (2) श्री हर्षवर्धन चौहान }
श्री राम लाल ठाकुर } प्रस्ताव करेंगे कि:
श्री राजेन्द्र राणा }

"बिजली की दरों में हुई बढ़ौतरी पर यह सदन विचार करे ।"

7. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा:

- (1) श्रीमती आशा कुमारी, "दिनांक 07 सितम्बर, 2020 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 2895 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगी ।
- (2) श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, "दिनांक 14 सितम्बर, 2020 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 3094 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।

शिमला-171004
दिनांक: 15 सितम्बर, 2020

यशपाल शर्मा,
सचिव ।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)